न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

न अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

सख्या:-07/21 दायर दिनांक:- 11.01.2021

एस नं. 2021/15

माया पुत्री गिरधारी पत्नी रविकुमार तिवाडी जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी रणधीरगण तहसील भुसावर हाल निवासी बिडयारी तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

---वादिनी सायला

बनाम

गिरधारी पुत्र गुलाब जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर जिला रतपुर राज0

महेन्द्र पुत्र गिरधारी जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर जिला रतपुर राज0

नैमीचंद पुत्र गिरधारी जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर जिला रतपुर राज0

इन्द्रा पुत्री गिरधारी पत्नी राजेन्द्र जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी रणधीरगढ तहसील भुसावर हाल निवासी पिचूना तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0

---प्रतिवादीगण गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित -श्री चन्द्रशेखर तिवारी प्रार्थीया अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र चौधरी अप्रार्थीगण 1,2 अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 06.10.2023

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ख.न. 455 रकबा 1.2700 हेक्टेयर, ख.न. 695 रकबा 0.1500 ख.न. 699 रकबा 0.2800 हेक्टेयर, ख.न. 715 रकबा 0.4500 हेक्टेयर, किता 4 कुल रकबा हेक्टर के 5/12 हिस्सा, व आराजी ख0न0 441 रकबा 0.7800, ख.न. 701 रकबा 0.4800 किता 2 कुल रकबा 1.2600 हेक्टर में 1/3 हिस्सा एवं आराजी ख0न0 442 रकबा 1.2500, 74 रकबा 0.2400 हेक्टेयर, ख.न. 675 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, ख.न. 902 रकबा 0.1000 किता 4 कुल रकबा 1.8200 हेक्टर के सम्पूर्ण हिस्सा तथा आ0ख0न0 874 रकबा 0.4400, 75 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, किता 2 कुल रकबा 1.0100 हेक्टर के 5/24 हिस्सा व 0 1303 रकबा 0.0300 हेक्टर के 1/9 हिस्सा एवं आराजी ख0न0 881 रकबा 0.8000 1/2 हिस्सा तथा आ0ख0न0 1301 रकबा 0.0500 हैक्टर में 1/6 हिस्सा व आ0ख0न0 बा 0.0800 हैक्टर में 1/9 हिस्सा एवं आराजी ख0न0 1193 रकबा 0.0500 हेक्टर के 5/64 था आराजी ख0न0 1164 रकबा 0.0300 हैक्टर में 1/20 हिस्सा व आ0ख0न0 1171 रकबा ख.न. 1172 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, किता 2 कुल रकबा 0.1300 हैक्टर में 1/4 हिस्सा एवं 0 848 रकबा 0.0400 हैक्टर में 1/18 हिस्सा तथा आ0ख0न0 426 रकबा 1.1900 हैक्टर में

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हेक्टेयर, ख.न. 1201 ... ख.न. 1309 रकबा 0.1500
रकबा 0.6100 हेक्टेयर, ख.न. 1302 रकबा 0.5800 हेक्टेयर, ख.न. 1309 रकबा 0.1500
, ख.न. 1310 रकबा 0.4500 हेक्टेयर, ख.न. 457 रकबा 0.9100 हेक्टेयर,
466 रकबा 0.7700 हेक्टेयर, ख.न. 489 रकबा 0.8400 हेक्टेयर, ख.न. 490 रकबा 1.1600
, ख.न. 789 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, ख.न. 871 रकबा 0.4900 हेक्टेयर, ख.न. 872 रकबा
हेक्टेयर, ख.न. 903 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, किता 17 कुल रकबा 7.2800 हैक्टर के 1/3
वाके ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर में प्रतिवादी गैरसायल संख्या एक खातेदार दर्ज रिकार्ड
बकि मौके पर वादिनी सायला एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान वाहिस्सा बराबर से काबिज रहकर
र्वक काश्त करते चले आ रहे है। और इसी प्रकार से राज लगान राज्य सरकार को अदा कर
। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादिनी सायला एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान को हिन्दू संयुक्त
र की पैत्रिक आराजी है जो वादिनी सायला एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान को अपने पूर्वज
/पिता गुलाब से बाई बर्थ विरासत में प्राप्त हुई है और वादिनी सायला अपने बाबा/पिता के
काल से ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं।
न प्रतिवादी गैरसायल संख्या एक परिवार का कर्ता खानदान होने की वजह से आराजी की
दारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज होता चला आ रहा है। लेकिन मौके पर
नी सायला एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ
है। परन्तु अब प्रतिवादीगण गैरसायलान ने आपस में कौलूजन करते हुए वादग्रस्त आराजी को
वादी गैरसायलान संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराते हुए वादिनी सायला को
के निहित हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादीगण गैरसायलान को
ग्रस्त आराजी को रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते हैं।
क 30.11.2020 को वादिनी सायला अपने हिस्से की आराजी में गेहू की फसल बाने के लिए
तो प्रतिवादीगण गैरसायलान ने मौके पर आकर वादिनी को धमकी दी कि अब हम तुझे इस
जी के किसी भी भाग पर काश्त नहीं करने देंगें, और हम तो प्रतिवादी गैरसायल संख्या एक से
जी को रहन, वय व मुन्तकिल कराते हुए कब्जा दीगर व्यक्ति को देते हुए तुझे तेरे हिस्से की
क आराजी से बेदखल कर महरूम कर देंगें, और तुझे आराजी का उपयोग व उपभोग नहीं
ने देंगें । अतः वादिनी सायला वादग्रस्त आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा
का अधिकारिणी है। यदि प्रतिवादीगण गैरसायलान अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल
गए तो वादिनी सायला अपनी पैत्रिक आराजी से बेदखल होकर हमेशा के लिए महरूम रह
वेगी, जिससे वादिनी सायला को अपरमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपये
ों से सम्भव नही हो सकेगी। अतः वादिनी सायला, प्रतिवादीगण गैरसायलान को जरिए अस्थाई
षेधाज्ञा द्वारा पाबंद करा पाने की अधिकारिणी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर
फैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने बाव् निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई
टिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब व वकालतनामा श्री सुरेन्द्र चौधरी
डवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया। तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं
ाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलीलों व बहस पर मनन किया गया तथा
त्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा
का सतुंलन प्रार्थीया के हक में साबित होता है। साथ ही न्यायालय हाजा में उक्त पक्षकारान एवं
करीब करीब समान आराजीयात से संबधित वाद उनवान गिरधारी बनाम नैमीचंद व नैमीचंद बनाम
गिरधारी वगै. विचाराधीन चल रहा है इन प्रकरणों में पक्षकारान को स्थगन को पाबंद किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

अतः हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आराजीयात के संबंध में फरीकेन के हकों का निर्धारण
में साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के पश्चात ही हो सकेगा तब तक पक्षकराना के मध्य कानूनी
ीओं के बढने से बचने की दृष्टि से एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन की संभावाना को देखते
प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को ताफैसला मूलवाद विवादित
0न0455,695, 699, 715, 441, 701,442,674, 675, 902, 874, 875,1303, 881,1301, 878,1193,
1171,1172,848,426,1220,847,901,904,1119,1198,1226,1231,1232,1296,1302,1309,1310,457,
489,490,789,871,872,903 बाके ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर की उक्त आराजीयात में
ई एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)